

पत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....पद्मना.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....पद्मना.....  
 व भूअ.नि. ....पद्मना..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगारा...../नायब  
 तहसीलदार .....गिणुड..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....सौनियाठा..... तहसील रेलमगारा..... व  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् .....2077..... में खाता संख्या .....84..... में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१.	सौनियाठा	84	<u>दैवेन्द्र</u> जाति- <u>लोना</u>	<u>दैवेन्द्र कुमार</u> जाति- <u>रेगार</u>

5  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:- 343

दिनांक :- 11/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगारा..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री .....दैवेन्द्र कुमार..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। दैवेन्द्र कुमार रेगार

5  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगारा सहायक कलक्टर, .....